# अपील / सूचना

## प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना V 2.0

राज्य की आम जनता के संज्ञान में लाना है कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना V 2.0 उत्तराखण्ड राज्य में संचालित है। जिसमें पात्र महिलाओं को गर्भवती होने पर आंगनबाडी/स्वास्थ्य केन्द पर पंजीकरण एवं न्यूनतम एक प्रसव पूर्व सेवा प्राप्त करने, प्रथम बच्चे का जन्म पंजीकरण कराने व बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण कराने की शर्त पूर्ण करने की दशा में प्रथम बच्चे के जन्म पर रू0 5 हजार की राशि दो किश्तों में एवं द्वितीय बालिका के जन्म पर रू0 6 हजार की राशि एकमुश्त डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑन लाईन प्रदान की जाती है।

योजना में ऐसी गर्भवती एवं धात्री महिलाएं जिनके द्वितीय प्रसव में बालिका का जन्म 01 अप्रैल 2022 में या उसके पश्चात् हुआ हो,उन सभी बालिकाओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा पोर्टल पर दिनांक 31 अगस्त,2023 तक विस्तारित की गई है। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसी पूर्व जन्मी द्वितीय बालिकाओं का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर नहीं किया जा सकेगा, जिससे उक्त योजना के लाभ से पात्र लाभार्थी वंचित हो सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के परिवारों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिये महिला के पास निम्न में से कोई अभिलेख होना अनिवार्य हैः–

- नोटः आधार कार्ड समस्त श्रेणी की महिलाओं के लिये अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ।
- 40% अथवा अधिक श्रेणी की दिव्यांगजन महिलाएं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
- ई–श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं।
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
- गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/सहायिका/आशा कार्यकर्ती।

अतः सभी पात्र लाभार्थियों के परिजनों एवं महिलाओं से मेरी व्यक्तिगत रूप से अपील है कि पोर्टल **pmmvy.nic.in** पर मोबाईल फोन द्वारा स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं अथवा नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र या बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाकर अंतिम तिथि से पूर्व यथा शीघ्र पंजीकरण कराने का कष्ट करें, ताकि पात्रता की श्रेणी में आने वाली समस्त महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

पुष्कर सिंह धामी,<br>
मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड़।